



79

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप-जबलपुर

पुनरीक्षण कमांक 3199-2 / 2015 जिला जबलपुर

श्री नरसिंह शर्मा शर्मा
श.नं. 239.11-
श्री नरसिंह शर्मा
श.नं. 239.11-
23/9/15

देवसिंह गौड़ उम्र 49 वर्ष पिता छिददी गौड़
निवासी ग्राम साली वाड़ा थाना बरगी
तहसील व जिला जबलपुर आवेदक

विरुद्ध

- 1- संदीप कुमार सिंह पिता पारसनाथ सिंह
निवासी मकान नंबर 100 वार्ड नं. 03,
अवर लेडी चर्च के पास, घाना खम्हरिया
जबलपुर
- 2- म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय
कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण कमांक 438/अ-21/2013-14
में पारित आदेश दिनांक 13-08-2015 के विरुद्ध.

Amit Mishra
Amit K. Mishra

माननीय महोदय,
आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु
प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यहकि आवेदक के भूमिस्वामित्व की ग्राम सालीवाड़ा न.बं. 433 पह.ह.नं.
53/49 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर में भूमि खसरा नं0 29/2 रकबा
0.400 हैक्टर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है ।

2- यहकि, उक्त भूमि शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है पैतृक भूमि है । उक्त भूमि
का रकबा काफी कम है जिसमें कृषि कार्य करने और उस कृषि हेतु उपयुक्त
बनाने में बहुत अधिक राशि व खर्च आने के कारण आवेदक ने उक्त भूमि को
संदीप कुमार सिंह पिता पारसनाथ सिंह निवासी मकान नंबर 100 वार्ड नं. 03,
अवर लेडी चर्च के पास, घाना खम्हरिया जबलपुर को विक्रय किए जाने हेतु

R
4/15

देवसिंह

१ ३१९९ ३/१५ (जवामयु)

15-3-16

आवेदक की ओर से अभिभाषक धमेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक क. २ शासन की ओर से अभि. श्री अनिल श्रीवास्तव उपस्थित ।

२/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण नोट-प्रेस में समाप्त करने का अनुरोध किया । शासकीय अभि. को कोई आपत्ति नहीं है । अतः प्रकरण आवेदक अभि. के अनुरोध पर समाप्त किया जाता है ।


सिदरस्य

R
शर

Not Press
15/3/16

Asta
15/3/16
शरि ३ मर ५५
शर